



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236618
CG-DL-E-16062022-236618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2617]
No. 2617]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2022/ज्येष्ठ 25, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2022/JYAISTHA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

का.आ. 2749(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है और राजमार्ग, संख्या का.आ. 980(अ), दिनांक 5 मार्च 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, दिनांक 6 मार्च 2018, क्रमांक का.आ. 2992(अ), दिनांक 18 जून 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 30 जून 2018 में प्रकाशित, अर्थात्:-

भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचनाओं में अनुसूचियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुसूची

आंध्रप्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में नायडुपेटा से तुरु कनुपुर किमी.57.046 से किमी 91.910 तक कृष्णापट्टनम बंदरगाह तक 6 लेन सड़क के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रैभनू डिभिशनल् औफिस	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी. 57.046 से 91.927 तक	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	नैदुपेट	1 विन्नमाला
						2 लक्ष्मी अनंथा सागरम
						3 एननामेड्यू
						4 चिलामाथुरु
						5 मार्लापल्ली
						6 पुदुरु
						7 बिराडावाडा
						8 जुवलापालेम
						9 थुम्मूरु
						10 कापुलुरु
					ओज़िली	1 कुरुगोंडा

[फा. सं. PIU NELLORE/3a]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2022

S.O. 2749(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes **the following amendments in the notifications** of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 980(E), dated the 5th march 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (ii), dated the 6th march 2018, number S.O. 2992(E), dated the 18th June 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (ii), dated the 30th June 2018, namely:-

The Schedules in the aforementioned notifications of the Government of India shall be substituted as follows:

SCHEDULE

Acquisition of land for Construction of 6 laning road from Naidupeta to Turpu Kanupuru Km.57.046 to Km 91.910 to Krishnapatnam Port in Tirupati Distrct in the state of Andhrapradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Revenue Divisional Office	57.046KM To 91.927KM	ANDHRA PRADESH	Tirupati	Naidupet	1	Vinnamala
						2	Lakshmi Anantha Sagaram
						3	Annamedu
						4	Chilamathuru
						5	Marlapalli
						6	Puduru
						7	Biradawada
						8	Juvvalapalem
						9	Thummuru
						10	Kapuluru
					Ozili	1	Kurugonda

[F. No. PIU NELLORE/3a]
RAJESH GUPTA, Director